भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *282
सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

रोजगार सृजन के लिए योजनाएं और कार्यक्रम

***282. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में बेरोजगारी पर अंकुश लगाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के नाम क्या हैं;
(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने युवाओं को रोजगार मिला तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल हुईं;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार तथा निजी क्षेत्र और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्यवार कितनी नौकरियां सृजित और प्रदान की गईं; और
(घ) क्या सरकार का बेरोजगार युवाओं को कोई बेरोजगारी भत्ता देने का विचार है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

***

"रोजगार सृजन के लिए योजनाएं और कार्यक्रम" के संबंध में श्री देवेश चन्द्र ठाकुर द्वारा दिनांक 16-12-2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *282 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैः

(% में)

वर्ष	कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)
2020-21	36.1
2021-22	36.8
2022-23	40.1
2023-24	41.7

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़ें दर्शाते हैं कि युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए रोजगार को दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध में दिया गया है।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं

डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। 15.11.2024 तक, एनसीएस पोर्टल पर 3.53 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

सरकार ने बजट 2024-25 में, 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, पात्रता के अनुसार, अपनी नौकरी खोने वाले बीमित श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही बीमित श्रमिकों के लिए लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट भी दी गई है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 16.12.2024 के तारांकित प्रश्न संख्या *282 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	**कामगार जनसंख्या अनपात** (%)			
	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
आंध्र प्रदेश	40.2	40.6	40.7	37.7
अरुणाचल प्रदेश	24.3	20.0	35.1	40.0
असम	31.3	37.6	44.6	44.0
बिहार	21.3	21.8	27.0	31.2
छत्तीसगढ	45.3	47.9	55.6	57.8
दिल्ली	31.9	34.1	33.2	33.3
गोवा	31.2	30.1	36.6	33.5
गुजरात	44.8	47.3	50.3	55.8
हरियाणा	31.6	28.7	30.8	34.6
हिमाचल प्रदेश	49.4	51.3	54.6	52.9
झारखंड	46.1	49.2	46.7	49.3
कर्नाटक	39.3	37.1	40.5	38.1
केरल	25.3	28.9	28.9	28.5
मध्य प्रदेश	47.0	44.7	49.8	56.6
महाराष्ट	36.5	38.0	39.6	40.1
मणिपर	17.4	18.7	26.3	24.3
मेघालय	37.5	38.8	41.6	53.1
मिजोरम	28.3	25.0	25.1	22.5
नागालैंड	21.5	31.3	38.9	36.5
ओडिशा	37.5	36.3	42.2	46.3
पंजाब	33.8	37.0	39.2	37.8
राजस्थान	38.2	37.6	41.1	44.1
सिक्किम	46.0	50.2	47.2	52.6
तमिलनाड	35.3	34.5	32.9	35.0
तेलंगाना	35.2	38.2	36.3	40.7
त्रिपरा	33.2	34.2	36.4	43.9
उत्तराखंड	30.9	32.3	37.5	44.2
उत्तर प्रदेश	33.1	34.7	38.5	39.0
पश्चिम बंगाल	39.7	39.1	43.3	44.6
अंडमान एवं निकोबार दवीप समह	42.4	39.2	45.9	43.3
चंडीगढ	27.8	29.6	34.3	44.9
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	40.0	57.9	60.9	56.9
जम्म और कश्मीर	33.4	40.2	41.2	40.2
लद्दाख	14.3	29.1	25.0	31.0
लक्षद्वीप	19.4	19.4	21.0	31.4
पडचेरी	31.3	35.8	31.6	36.5
अखिल भारत	**36.1**	**36.8**	**40.1**	**41.7**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई